

Form-III
फर्द अहकाम

राज अदालत -- उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी जिला बाँसवाड़ा

श्रीमति चम्पी बाई पति स्व० श्री धूलिया तेली
निवासी सुन्दनी हाल निवासी गनोडा

बनाम

हरिशचन्द्र पिता स्व० श्री शंकर तेली वगैराह
निवासी तेजपुर तहसील बाँसवाड़ा

कैसम मुकदमा :- 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या: 44/2014

संख्या हुकम	हुकम या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
08.14	पत्रावली बाद जाँच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादिया श्रीमति चम्पी बाई पति स्व० श्री धूलिया तेली निवासी सुन्दनी हाल निवासी गनोडा ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण हरिशचन्द्र पिता स्व० श्री शंकर तेली वगैराह निवासी तेजपुर तहसील बाँसवाड़ा के विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मान जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.08.14 को पेश हो।	
28.8.14	पत्रावली पेश हुई। जमाना इ.ताल पर) प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मान बाद तालीक प्राप्त। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुए। P.O. साहब अन्य शर्त कार्य में आता। पत्रावली दिनांक 21.10.14 को पेश हो।	
31.10.14	पत्रावली पेश हुई। जमाना P.O. साहब का स्वाभाविक होने से पुर्वाञ्जल कार्यवाही के लिए पत्रावली दिनांक 23-12-14 को पेश हो।	
12/11	पत्रावली पेश हुई। उमय पद ने अतिवर्ध उपस्थित जमाना P.O. साहब स्वाभाविक। वेतन के पूर्वोक्त कार्यवाही के लिए पत्रावली दिनांक 22.11.14 को पेश हो।	
23/11	पत्रावली पेश हुई। वादीगणों की अतिवर्ध उपस्थित। जमाना P.O. साहब स्वाभाविक। वेतन के पूर्वोक्त कार्यवाही के लिए पत्रावली दिनांक 22.11.14 को पेश हो।	

3.4.18

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिकाधिक को
तीन-चार बार आवाज लगावाई गई, कोई उपस्थित
नहीं हुआ। न्यायद्वारा भी वादी व उनके अधिकाधिक को
एक प्रतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वाले साक्ष्य
वादी दिनांक 10.4.18 को पेश है।

10.4.18

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिकाधिक को
तीन-चार बार आवाज लगावाई गई, कोई उपस्थित
नहीं हुआ। पत्रावली वाले समय से वादी की साक्ष्य
में निगम होने पर वादी की साक्ष्य पेश नहीं हुई
एवं न ही कोई उपस्थित नहीं हुआ। लिहाज पत्रावली
अदम डापरी व अदम फेरी में रवायत की जारी
है। पत्रावली समय से काम होकर काद दाखला
दाखिल दफ्त है।

वकील
वादी व
अधीन

वादी व
अधीन

लाइव अवकाश
को पेश हो।

वादी व
अधीन

लाइव
वादी व
अधीन

वादी व
अधीन

वादी व
अधीन

वादी व
अधीन